SPACE FOR TAGGING

SPACE FOR TAGGING

सिविल जज, जूनियर डिवीजन, महाराजगंज (सिवान)
उपस्थितः रवि शंकर पासवान
MISC.-06/2019, Reg. No.-127/2025
मु0 राजपति देवी व अन्य बनाम जनार्दन यादव व अन्य

29.06.2026 उभयपक्ष की हाजिरी दी गई। आवेदक द्वारा यह प्रर्कीणवाद व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2019 को लाकर निवेदन किया गया है कि मूल हकियत वाद 33/2015 को पुनर्जीवित किया जाए। जिसका प्रतिउत्तर विपक्षीगण की ओर से दिनांक 17.08.2019, 15.11.2019, 30.05.2022 एवं दिनांक 05.07.2022 को दाखिल किया गया है।

आवेदकगण का अपने आवेदन में कथन है कि हकियत वाद 33/2015 विपक्षीगण के विरूद्ध दाखिल किया था तथा प्रतिवादीगण द्वारा उत्तर पत्र भी दाखिल किया गया था और मोकदमे की कार्रवाई 89 सी.पी.सी. के लिए रखी गई थी जिसकी जानकारी आवेदकगण को पूर्व में नहीं हो सकी तथा कई माह तक पीठासीन पदाधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण मोकदमें में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। आवेदकगण अपने अधिवक्ता लिपिक कमलदेव चौधरी को पैरवी की जिम्मेदारी दिया था और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि पीठासीन पदाधिकारी के आने पर वे आवेदकगण को सूचित कर देंगे और आवेदकगण आकर अपना पैरवी करेगा, परंतु दुर्भाग्यवश आवेदक सं. 2 रामाशंकर यादव की तबीयत खराब हो गई और दो माह तक बेड पर पड़े रहे जिस कारण अपने अधिवक्ता लिपिक से मोकदमे के बारे में पूछताछ नहीं कर सके। तत्पश्चात स्वस्थ्य होने पर दिनांक 07.01.2019 को न्यायालय आया, मोकदमें के बारे में पता लगाया तो पता चला कि मोकदमा दिनांक 06.12.2018 को ही खारिज हो गया है। आवेदकगण ने यथाशीघ्र सच्ची प्रतिलिपि देने का सवाल दिया जिसकी सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 09.01.2019 को प्राप्त हुआ। आवेदकगण जानबुझकर मोकदमें की पैरवी में कोई गलती नहीं कि है। आवेदकगण के हकियत वाद सं. 33/2015 में पारित दिनांक 06.12.2018 के आदेश को वापस लेते हुये मूल हकियत वाद 33/2015 को न्यायहित में पुनर्जीवित किये जाने का निवेदन करते हैं। वहीं विपक्षीगण द्वारा आवेदकगण के आवेदन का अपने प्रतिउत्तर में विरोध किया गया है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रर्कीणवाद के साथ मूल हकियत वाद 33/2015 संलग्न है तथा उक्त मूल वाद, 89 सी.पी.सी. हेतु विगत कई तिथियों से चल रहा था, परन्तु दिनांक 06.12.2018

को पुकार पर वादीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुए, जिस कारण उनका वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया था। जबकि यह प्रर्कीण वाद दिनांक 11.01.2019 को दाखिल किया गया, जो समय सीमा के अन्दर है। विपक्षीगण द्वारा आवेदकगण के आवेदन का अपने प्रतिउत्तर में विरोध किया है। आवेदकगण ने अपने पक्ष में दो साक्षियों रामाशंकर यादव एवं रामनरेश यादव का साक्ष्य कराया गया है तथा विपक्षीगण ने अपने पक्ष में तीन साक्षियों जनार्दन यादव, गोबर्धन यादव एवं राम अवतार यादव का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें सभी साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने–अपने पक्ष का समर्थन किया। आवेदकगण मूल वाद में संघर्ष करना चाह रहा है। अतः न्यायहित में 3,500/– रूपया खर्च पर मूल हकियत वाद 33/2015 को पुनर्जीवित किया जाता है तथा खर्च की राशि विपक्षीगण को देय होगी। इस प्रर्कीण वाद का निस्तारण किया जाता है तथा कार्यालय मूल हकियत वाद 33/2015 को पुनर्जीवित करे तथा मूल अभिलेख में आवेदकगण प्रतिवादीगण को उपस्थित कराने हेतु सभी प्रकियाएं पूरी करे।

(रवि शंकर पासवान)
सिविल जज, जूनियर डिवीजन
महाराजगंज, (सिवान)